2026:CGHC:12496

2026:CGHC:12496

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका क्रमांक–739/2026

- कृत कुमार कुर्रे पिता–स्वर्गीय रामपाल कुर्रे, उम्र–लगभग 36 वर्ष, निवासी–ग्राम परसदा जोशी, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, छत्तीसगढ़

–––––आवेदक

विरूद्ध

- लता सक्सेना पिता–परमेश्वर सक्सेना, उम्र–लगभग 40 वर्ष, निवासी–ग्राम बासिन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, छत्तीसगढ़

–––––अनावेदक

आवेदक द्वारा	:	श्री अमियकांत तिवारी, अधिवक्ता ।
अनावेदक द्वारा	:	सूचना प्रेषित नहीं ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

16/03/2026

1. तर्क सुने गए ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका में, पुनरीक्षण न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण

क्रमांक 04/2026, "लता सक्सेना **विरुद्ध** कृत कुमार कुर्रे" में पारित आदेश दिनांक 07/02/2026 को चुनौती दी गई है । उक्त आदेश को संक्षेप में "प्रश्नाधीन आदेश" से संबोधित किया जा रहा है ।

3. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि आवेदक कृत कुमार कुर्रे ने न्यायालय— अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजिम के समक्ष अपनी दो पुत्रियों का संरक्षण प्राप्त करने हेतु, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 100 एवं 101 के अंतर्गत, लता सक्सेना के विरुद्ध दिनांक 28/01/2026 को आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि लता सक्सेना, उसकी मृत पत्नी जिनेश्री कुर्रे की रिश्ते में सौतेली बहन है । इस पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजिम द्वारा अनावेदक लता सक्सेना को सूचना प्रेषित की गई । अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि न्यायालय में लंबित आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है । उक्त आपत्ति का निराकरण दिनांक 05/02/2026 को करते हुए आवेदन निरस्त किया गया तथा प्रकरण को उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु दिनांक 09/02/2026 को नियत किया गया ।

4. उक्त आदेश दिनांक 05/02/2026 को, लता सक्सेना द्वारा पुनरीक्षण में चुनौती दी गई, जिस पर पुनरीक्षण न्यायालय ने "प्रश्नाधीन आदेश" दिनांक 07/02/2026 के माध्यम से याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश पारित करते हुए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजिम के न्यायालय में लंबित कार्यवाही को स्थगित रखने का आदेश दिया । उसी आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई है ।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि वे पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं ।

6. इस याचिका के माध्यम से पुनरीक्षण न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 07/02/2026 को चुनौती देते हुए उसे अपास्त करने का निवेदन किया गया है । उल्लेखनीय है कि "प्रश्नाधीन आदेश" दिनांक 07/02/2026 एक स्थगन आदेश है तथा वह बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

7. विचारोपरांत, पुनरीक्षण न्यायालय के "प्रश्नाधीन आदेश" दिनांक 07/02/2026 का वह अंश **अपास्त** किया जाता है, जिसके तहत विचारण न्यायालय—अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजिम के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है । आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/03/2026 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित रहें । पुनरीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23/03/2026 से 30 दिवस की अवधि में पुनरीक्षण आवेदन का विधिवत निराकरण करना सुनिश्चित करें ।

8. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित किया जाए ।

9. उपरोक्तानुसार, इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका का निराकरण किया जाता है ।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन